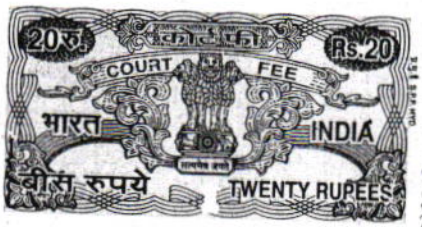

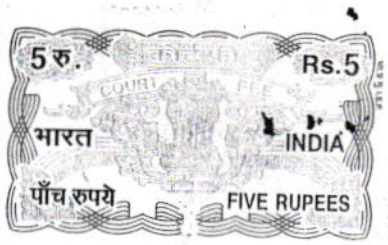

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप–जबलपुर

निग – 2856 – I – 6

प्रकरण कमांक पुनरीक्षण /2016 (जिला–सिवनी)

लक्ष्मीचंद पिता अमरसिंह जाति परधान
निवासी कुचीवाड़ा तहसील केवलारी
जिला सिवनी ------ आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, सिवनी म0प्र0 ----- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण कमांक 54/अ–21/13–14 में पारित आदेश दिनांक 09–8–2016 से व्यथित होकर ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2– यहकि, कलेक्टर, सिवनी के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया था कि आवेदक के नाम से ग्राम कुचीवाड़ा प.ह.नं. 01 रा.नि.मं. पलारी तहसील केवलारी जिला सिवनी में भूमि खसरा नं. 365/3 रकबा 2.00 तथा खसरा नं. 379 रकबा 1.90 हैक्टर भूमि है । आवेदक द्वारा बैंक कृषि साख सहकारी समिति पलारी से ऋण लिया था जो बढ़कर 270878/– हो गया है । उक्त ऋण को अदा करने हेतु आवेदक भूमि खसरा नं. 365/3 रकबा 2.00 को विकय करना चाहता है । अतः उसे विकय की अनुमति दी जाये । किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विधिवत विचार किए बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

3– यहकि, कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से प्रकरण

X:XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 २४ ६६ -एक/16 | जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-8-16	यह निगरानी कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 09-8-2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम कुचीवाड़ा प.ह.नं. 2 रा.नि.मं. पलारी तहसील सिवनी खसरा नं. 365/3 रकबा 2.00 हैक्टर गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार, केवलारी को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर कि प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	किया है कि आवेदक के पास संहिता की धारा 165 में विहित प्रावधानों के पास कम है । यह भी आधार लिया गया है कि आवेदक द्वारा जो कारण बताये गये हैं उनकी पूर्ति के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध हैं, और उक्त कारण से आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया गया है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नाधीन भूमि उनकी पैत्रिक संपत्ति है शासन द्वारा पट्टे पर नहीं दी गई है । आवेदक द्वारा बैंक कृषि साख सहकारी समिति पलारी से लिए गए ऋण की राशि बढ़कर 2,70,878/- हो गई है जो निरंतर बढ़ रही है । आवेदक के पास शेष बच रही 1.90 हैक्टर भूमि सिंचित है जो उसके जीवनयापन के लिए पर्याप्त है । संहिता की धारा 165 में 5 एकड़ सिंचित और 10 एकड़ असिंचित भूमि शेष रहने के जो प्रावधान हैं, वे बंधक एवं कुर्क किए जाने के संबंध में है । जिलाध्यक्ष ने प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर पैत्रिक है । आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है इस कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक की ओर से जो राजस्व अभिलेख	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 २८५६ -एक/16 जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पेश किये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 1.90 हैक्टर सिंचित भूमि शेष बचेगी इस कारण वह भूमिहीन नहीं होगा । आवेदक द्वारा जो आधार भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने हेतु बताए गए हैं, उनको देखते हुए आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है, इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-08-16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित कृषि भूमि स्थित ग्राम कुचीवाड़ा प.ह.नं. 2 रा.नि.मं. पलारी तहसील सिवनी खसरा नं. 365/3 रकबा 2.00 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।	

नि0 - 2856.ग्/16 शिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3– उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । 4– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	